संख्या-3/2018/109-भा0स0/60-1-2018

प्रेषक,

जय प्रकाश सगर
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

महिला कल्याण एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक 18 मई, 2017**

विषय-: पाक्सो एक्ट-2012 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम-2012 के अन्तर्गत बच्चों लैंगिक अपराधों से बचाने एवं उनके संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया है। अधिनियम में प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत कठोर दण्ड का भी प्राविधान है।

2- विगत दिवसों में भी बच्चों के साथ दुराचार की अनेक घटनाएं मीडिया में रिपोर्ट की गयी है तथा एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट में बच्चों के विरूद्ध अपराधिक घटनाओं में क्रमिक बढ़ोत्तरी का उल्लेख किया गया है। पाक्सो एक्ट-2012 की धारा-19 में ऐसे अपराधों का अनिवार्यत: संज्ञान लिया जाना प्राविधानित है।

3- अत: उपर्युक्त विषयक् पत्र दिनांक 18.04.2018 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम हेतु ऐसे अपराध घटित होने पर उनका तत्काल स्वत: संज्ञान लेने एवं पाक्सो एक्ट-2012 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(जय प्रकाश सगर)
सचिव

संख्या-3/2018/109-भा0स0(1)/60-1-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्तुति कक्कड़
Stuti Kacker
अध्यक्ष
Chairperson

No. 4210 /MS/2018

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS
नई दिल्ली–110 001
New Delhi - 110 001

NCPCR

D.O. No.2603/18/2018-POCSO/NCPCR
Dated : April 18 , 2018

Dear Rajiv,

As you are aware, the Protection of Children from Sexual Offences Act – 2012 (POCSO) was enacted for better protection of our children from child sexual abuse. The Act also provides for stringent punishments as per the gravity of the offence.

2. Recently there have been several media reports of brutal rape of minors and very young children. It is also pertinent to mention that the National Crime Records Bureau (NCRB) report shows steady rise in incidents of offences against children.

3. The trauma associated with sexual abuse, can contribute to arrested development, as well to a host of psychological and emotional disorders which children and adolescents may never overcome. Also when sexual abuse goes unreported and the victims are not given the therapeutic support, they are forced to suffer in silent. Therefore, Section 19 of POCSO Act-2012 has a provision for mandatory reporting of such offences.

4. It is important to protect our children from such crimes for their holistic growth and development. I request you to take cognizance of any case involving rape/heinous crime of minor child immediately under the Protection of Children from Sexual Offences Act – 2012 and issue necessary directions to all concerned to take suo-motu cognizance of such cases and to ensure that FIR is filed under relevant sections of the POCSO Act - 2012.

With regards,

Yours sincerely,

(Stuti Kacker)

Shri Rajiv Kumar, IAS
Chief Secretary,
State Government of Uttar Pradesh
Secretariat, Lucknow.

5वां तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110 001
5th Floor, Chanderlok Building, 36, Janpath, New Delhi-110 001
दूरभाष/Ph. :011-23478212, 23731583, फैक्स/Fax: 011-2373
ई–मेल/E-mail : cp.ncpcr@nic.in वेब/Web: www.ncpcr.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।